महत्वपूर्ण

संख्या 2 /मु0 मं/ग्रा. वि0/03

वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा

सं 1047/व.ग्रा.वि./2003 देहरादून जनवरी 04, 2003

1. सचिव, ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियन्त्रण
2. सचिव, कृषि एवं जलागम
3. सचिव, समाज कल्याण
4. अपर सचिव, पशु पालन, डेयरी
5. अपर सचिव, वन

विषय : मा0 मुख्यमंत्री जी का रायवाला क्षेत्र का भ्रमण।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा रायवाला क्षेत्र का भ्रमण किया गया और इसी दौरान ग्रामीण अभियंत्रण कार्यालय और विकास खण्ड कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया. कृपया निम्न कार्यवाही करें.

1. ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के द्वारा किये जा रहे कार्यों का एक मासिक प्रगति प्रतिवेदन बनाया जाये जिसमें जनपदवार आवंटित कार्यों का विस्तृत विवरण देते हुये मासिक समीक्षा निकाली जाये जिसकी एक प्रति वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी को भी भेजी जाये.

2. सभी मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक माह जनपद के समस्त विकास खण्डों की संख्या के एक तिहाई विकास खंडों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे जिसमें विकास कार्यों के अतिरिक्त विकास खंड के रखरखाव, सफाई, उपस्थिति का विशेष रूप से निरीक्षण किया जायेगा। ऐसे आकस्मिक निरीक्षणों को एक पृष्ठ से अधिक के कार्यवृत के रूप में अपने पास सुरक्षित रखेंगे और उसकी प्रति ग्राम्य विकास आयुक्त मुख्यालय पौड़ी, सचिव ग्राम्य विकास एवं प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास को भेजी जायेगी. गत वर्ष से निरीक्षणों की तथ्यात्मक स्थिति को जिनमें विकास खण्डों का निरीक्षण, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का निरीक्षण और पंचायती राज संस्थाओं का निरीक्षण

इत्यादि शामिल है को वार्षिक मूल्यांकन का भाग बनाया गया है. प्रत्येक मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और परियोजना निदेशक से पिछले नौ माहों में किये गये निरीक्षणों का विवरण प्राप्त कर लें जिन अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कम किये गये हैं उन्हें चेतावनी भी दें. कोई भी निरीक्षण तभी निरीक्षण माना जायेगा जबकि निरीक्षण लिखित रूप से जारी किया जायेगा। बिना लिखित निरीक्षण के विषयों को मान्यता नहीं दी जायेगी. और जिन अधिकारियों द्वारा निरीक्षणो को अभिलिखित नही किया गया है उन्हें भी चेतावनी दी जायेगी.

सचिवालय से अधिकारी जब भी भ्रमण पर रहते हैं वह अनिवार्य रूप से विकास भवनों खण्ड विकास कार्यालयों, पशु चिकित्सालयों तथा अन्य कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करें और निरीक्षण के समय ही सूक्ष्म निरीक्षण प्रतिवेदन का श्रुतिलेख देकर वहीं हस्ताक्षरित कर जारी करा दें. जिसकी एक प्रति सम्बन्धित कार्यालय को, एक प्रति प्रमुख सचिव एवं आयुक्त के भी अवलोकनार्थ प्रेषित करें।

4. कार्यालयाध्यक्षों, अपर कार्यालयाध्यक्षों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के माहवार और वार्षिक आकस्मिक निरीक्षणों का मानक भी तय करके सभी विभाग जारी करें।

5. वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त संगठन के प्रत्येक विभाग द्वारा उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

डा0 आर. एस. टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि–

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, अपर विभागाध्यक्ष, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा, उत्तरांचल.
3. समस्त अपर सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा.
4. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल.

डा0 आर. एस. टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त